RN/10-5/मि/[illegible]/08

1- सोनकली उर्फ सीतलिया पुत्री [illegible] पत्नी भगवानदास

[illegible] तहसील [illegible]

2- [illegible] पुत्री [illegible] पत्नी [illegible]

[illegible] तहसील [illegible]

दोनों का पेशा खेती, [illegible] जिला सीधी म.प्र.

—————— निगरानीकर्तागण

[illegible]

[illegible] तहसील [illegible]

[illegible], जिला सीधी म.प्र.

—————— गैरनिगरानीकर्तागण

2- मध्य प्रदेश राज्य

निगरानी [illegible] निर्णय व आदेश [illegible] [illegible] प्रकरण [illegible]-74/04-05 [illegible] के [illegible] पारित आदेश दि. [illegible]

[illegible]

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 314 / 95 जिला – सीधी

| दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 6 14 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण वर्ष 1995 से लंबित है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक का प्रकरण दिनांक 25–10–94 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया था, जिसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदक द्वारा उसी दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति मे यह प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत मूल प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर करें । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो<br><br>सदस्य | |